न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नंबर 01 आजमगढ़।

मुतफर्का वाद संख्या 03/2022

जरीना वहीद आदि बनाम शाहीन

दिनांक 15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। आवेदक विद्वान उपस्थित। विपक्षी की तरफ से कोई उपस्थित नही। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 19 ग 2 नियत है।

विपक्षी शाहीन की तरफ से प्रार्थनापत्र 19 ग 2, प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार पारिवारिक न्यायालय के गठन के पश्चात, इस न्यायालय को प्राप्त नही है।

आवेदक की तरफ से कोई लिखित आपत्ति नही की गयी है, मौखिक रूप से यह आपत्ति की गयी है कि जहां किसी अवयस्क व्यक्ति के शरीर की संरक्षता का प्रश्न है तो इसका क्षेत्राधिकार पारिवारिक न्यायालय को प्राप्त है परन्तु जहां किसी व्यक्ति के शरीर व सम्पत्ति की संरक्षता का प्रश्न है तो वहां इसका निर्धारण जिला न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा।

सुना एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों का अनुशीलन किया।

धारा 7(छ) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, यह प्रावधानित करता है कि– "कुटुम्ब न्यायालय को किसी व्यक्ति की संरक्षकता या किसी अवयस्क की अभिरक्षा या उस तक पहुंच के संबंध में वाद या कार्यवाही की सुनवाई करने का अधिकार है,'' परन्तु धारा 07 गार्जियन एण्ड वार्ड ऐक्ट में यह व्यवस्था दी गयी है कि अवयस्क की सम्पत्ति, अथवा शरीर, अथवा सम्पत्ति व शरीर दोनों के सम्बंध में संरक्षता का निर्धारण जिला न्यायालय के द्वारा किया जायेगा।

पत्रावली के अनुशीलन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक संख्या 02 व 03 के सम्पत्ति एवं शरीर दोनों की संरक्षता का प्रश्न है, अतः इसका निर्धारण जिला न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, न कि कुटुम्ब न्यायालय के द्वारा। उपरोक्त विवेचना के आलोक में विपक्षी शाहीन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19 ग 2 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी शाहीन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19 ग 2, निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/आपत्ति दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।

दिनांक 15.07.2025

अपर जिला जज,
कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2025.07.15 13:21:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court